रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2015/आषाढ़ 4, 1937
No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2015/ASHADHA 4, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2015

सा.का.नि. 511(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार प्रशासन के डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान में आचार्य और सह-आचार्य के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडमान और निकोबार प्रशासन, डॉ. भीमराव अंबेडकर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, आचार्य और सह-आचार्य (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान –** पदों की संख्या, उनकी वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **आरम्भिक गठन**- इन नियमों के प्रारंभ के पहले पदधारी जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 4-10/2010-टीएस-II तारीख 20.12.2011 द्वारा नियमित आधार पर अंडमान और निकोबार प्रशासन, पाहाड़गांव, पोर्टब्लेयर के अधीन डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आचार्य और सह-आचार्य का पद धारण किए हुए हैं, को इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में नियुक्त हुआ समझा जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन या अचनय पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
आचार्य	03* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) सिविल इंजीनियरी – 1 इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी – 1 कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी- 1	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37400-67000 रुपए + शैक्षिक ग्रेड वेतन 10000 रुपए	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई

					है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यकः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की सिविल इंजीनियरी या इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी विद्याशाखा में बैचलर या मास्टर डिग्री जो बैचलर या मास्टर डिग्री स्तर पर प्रथम श्रेणी या उसके समुतल्य हो; (ii) इंजीनियरी की सुसंगत विद्याशाखा में निम्न-वर्णानानुसार पीएच.डी या समतुल्य हो। (i) उपरोक्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हो। (iii) शिक्षण, अनुसंधान या उद्योग में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सह-आचार्य के स्तर का रहा हो। या शिक्षण या अनुसंधान या उद्योग में 13 वर्ष का अनुभव। वांछनीयः (i) इंजीनियरी विद्याशाखा की जो शैक्षिक अर्हता और अनुभव अपेक्षित है। उसे प्रत्येक भर्ती के समय वास्तविक रूप से उपदर्शित किया जाएगा। (ii) अनुसंधान अनुभव, अच्छा शैक्षिक रिकॉर्ड और पुस्तक या अनुसंधान पेपरों या बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

या पेटेंट रिकार्ड का चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझे गए रूप में होना आवश्यक है। (iii) यदि औद्योगिक अनुभव पर विचार किया जा रहा है तो वह सह-आचार्य के समतुल्य प्रबंधकीय स्तर का हो जो खोज करने या योजना बनाने, निष्पादन करने, विश्लेषण करते, गुणवता नियंत्रण, नव-परिवर्तन करने, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों या अनुसंधान पेपरों का प्रकाशन या बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पेटेन्ट, आदि का चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझे गए रूप में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। (iv) पीएच.डी की समतुल्यता अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पांच पेपरों के प्रकाशन की होगी जहां प्रत्येक जर्नल 2.0 से संचयी समाघात का घातांक रखता हो तथा पदधारी मुख्य लेखक हो और सभी पांच प्रकाशन उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से हो। (v) किसी सहायक आचार्य पदधारी के लिए सहायक आचार्य स्तर के अनुभव को सह-आचार्य स्तर के अनुभव के लिए सुसंगत समझा जाएगा, परंतु यह कि पदधारी सहायक-आचार्य ने समुचित विद्याशाखा में पीएचडी अर्जित की है या करता है। (vi) डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव को भी समुचित स्तर पर और जिस रूप में लागू हो डिग्री स्तर की संस्थाओं के अनुभव के समतुल्य समझा जाएगा। तथापि, अर्हताओं का उपरोक्त रूप में होना आवश्यक है। (vii) यदि वर्ग या श्रेणी नहीं प्रदान किया गया है तो			

न्यूनतम 60 प्रतिशत का योग प्रथम वर्ग या श्रेणी के समतुल्य है। यदि ग्रेड अंक प्रणाली को स्वीकार किया गया है तो संचित औसत ग्रेड अंक को निम्न समतुल्य रूप में संपरिवर्तित किया जाएगा:- **ग्रेड अंक — समतुल्य प्रतिशत** 6.25 — 55 **प्रतिशत** 6.75 — 60 **प्रतिशत** 7.25 — 65 प्रतिशत 7.75 — 70 प्रतिशत 8.25 — 75 प्रतिशत टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):- 1. मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष 2. सचिव, (शिक्षा), अंदमान और निकोबार प्रशासन – सदस्य	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	3. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान – सदस्य	

1	2	3	4	5	6
सह-आचार्य	03* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) सिविल इंजीनियरी – 1 इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी – 1 कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी - 1	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37400-67000 रुपए + शैक्षिक ग्रेड वेतन 9000- रुपए	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
आवश्यकः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की सिविल इंजीनियरी या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

इलेक्टोनिक और संचार इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरी विद्याशाखा में बैचलर या मास्टर डिग्री जो बैचलर या मास्टर डिग्री स्तर पर प्रथम श्रेणी या उसके समुतल्य हो; ii. इंजीनियरी की सुसंगत विद्याशाखा में निम्न वर्णानानुसार पीएचडी या समुतल्य हो। iii. उपरोक्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हो। **वांछनीय:** शिक्षण, अनुसंधान या उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 2 वर्ष पश्च पीएचडी का अनुभव रहा हो। टिप्पण : 1. इंजीनियरी विद्याशाखा जिसमें शैक्षिक अर्हता और अनुभव अपेक्षित है। उसे प्रत्येक भर्ती के समय वास्तविक रूप से उपदर्शित किया जाएगा। 2. पीएचडी की समतुल्यता अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पांच पेपरों के प्रकाशन की होगी जहां प्रत्येक जर्नल 2.0 से अन्यून संचयी समाघात का घातांक रखता हो तथा पदधारी मुख्य लेखक हो और सभी पांच प्रकाशन उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से हों। 3. डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव के भी समुचित स्तर पर और जिस रूप में लागू हो डिग्री स्तर की संस्थाओं समतुल्य समझा जाएगा। तथापि, अर्हताओं का उपरोक्त रूप में होना आवश्यक है। 4. यदि वर्ग या श्रेणी नहीं			

प्रदान किया गया है, तो न्यूनतम 60 प्रतिशत का योग प्रथम वर्ग या श्रेणी के समतुल्य है। यदि ग्रेड अंक प्रणाली स्वीकार किया गया है तो औसत ग्रेड अंक को निम्न समतुल्य रूप में संपरिवर्तित किया जाएगा: **ग्रेड अंक समतुल्य प्रतिशत** 6.25 55 **प्रतिशत** 6.75 60 **प्रतिशत** 7.25 65 प्रतिशत 7.75 70 प्रतिशत 8.25 75 प्रतिशत **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए):- 1. मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष 2. सचिव, (शिक्षा) अंडमान और निकोबार	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	प्रशासन – सदस्य 3. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान – सदस्य	

[फा. सं. 4-3/2013-टीएस-II]

प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2015

G.S.R. 511(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor and Associate Professor in the Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology under the Andaman and Nicobar Administration, namely:-

2. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology under Andaman and Nicobar Administration, Professor and Associate Professor (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.-** The number of post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution.-The incumbents holding the post of Professor and Associates Professor at Dr. B. R. Ambedkar Institute of Technology under Andaman and Nicobar Administration, Pahargaon, Port Blair on regular basis vide MHRD Office Order No. 4-10/2010-TS-II dated 20.12.2011 before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special

categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Professor.	3* (2015) *(Subject to variation depended on workload). Civil Engineering-1 Electronics and Communication Engineering-1 Computer Science and Engineering-1	General Central Service, Group A Gazetted, Non – Ministerial.	Pay band-4 Rs. 37400-67000 with Academic grade pay Rs. 10000.	Not applicable.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, If any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ bsorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology and Master's degree in Engineering or Masters degree in Technology in Civil Engineering or Electronics and Communication Engineering or Computer Science Engineering with first class or equivalent either in Bachelor's or Master's level from a recognised university or institute. (ii) Ph.D or equivalent in the relevant branch of Engineering mentioned at (i) above from a recognised University or institute. (iii) Minimum of 10 years experience in teaching or Research or Industry out of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor. Or 13 years experience in teaching or Research or Industry.	Not applicable.	One year for direct recruits.	By direct recruitment.

Desirable: Post Ph.D publications and guiding Ph.D students **Note :** (i) The exact branch of engineering in which the educational qualification and experience are required, shall be indicated at the time of each recruitment. (ii) In case of research experience, good academic record and books or research paper publications or Intellectual Property Right (IPR) or patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. (iii) If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor level with active participation record in devising or designing, planning, executing, analysing, quality control, innovating, training, technical books or research paper publication or Intellectual Property Right (IPR) patents, etc. as deemed fit by the expert members of the Selection Committee. (iv) Equivalence for PhD is based on publication of five international Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with the candidate as the main author and all five publications being in the authors' area of specialisation. (v) For an incumbent Assistant Professor, experience at the level of Assistant Professor will be considered equivalent to experience at the level of Associate Professor, provided the incumbent Assistant Professor has acquired or acquires Ph.D degree in the relevant discipline. (vi) Experience at diploma Institutions is also considered equivalent to experience in degree level Institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory. (vii) If a Class or division is not awarded, minimum of 60 percent marks in aggregate shall be considered equivalent to first class or division. If a Grade Point System is adopted the Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below. Grade point — Equivalent % 6.25 — 55 percent 6.75 — 60 percent 7.25 — 65 percent 7.75 — 70 percent			

8.25 75 percent **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any state of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation of direct recruits): 1.Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration- Chairman 2.Secretary(Education), Andaman and Nicobar Administration - Member 3.Prinicpal, Dr. B.R.Ambedkar Institute of Technology- Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Associate Professor.	3* (2015) *(Subject to variation depended on workload). (i) Civil Engineering---01 (ii) Electronics and Communication Engineering----01 (iii) Computer Science and Engineering-----01	General Central Service. Group A Gazetted Non – Ministerial.	Pay Band-4 Rs. 37400-67000 with Academic Grade Pay Rs. 9,000.	Not applicable.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and

					Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology and Master's degree in Engineering or Masters degree in Technology in Civil Engineering or Electronics and Communication Engineering or Computer Science Engineering with first class or equivalent either in Bachelor's or Master's level from a recognised University or institute. (ii) Ph.D or equivalent in the relevant Branch of Engineering mentioned at (i)above from a recognised University or institute. Desirable: Minimum five years experience in teaching or Research or Industry out of which at least two years shall be post Ph.D experience **Note :** (i) The exact branch of engineering in which the educational qualification and experience are required, will be indicated at the time of each recruitment. (ii) Equivalence for Ph.D is based on publication of 5 international journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with the candidate as the main author and all five publications being in the authors' area of specialisation. (iii) Experience at diploma institutions is also considered equivalent to experience in degree level institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory. (iv) If a Class or division is not awarded, minimum of 60 percent marks in aggregate shall be considered equivalent to first class or division. If a Grade Point System is adopted the Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below. **Grade point — Equivalent %** 6.25 — 55 percent 6.75 — 60 percent 7.25 — 65 percent 7.75 — 70 percent 8.25 — 75 percent **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise	Age: No. Educational Qualification: Yes.	One year for direct recruits.	By direct recruitment.

well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, if at any state of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation): 1. Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration - Chairman 2. Secretary(Education), Andaman and Nicobar Administration - Member 3. Prinicpal, Dr. B.R.Ambedkar Institute of Technology - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion

[F. No. 4-3/2013-TS.II]
PRAVEEN KUMAR, Jt. Secy. (Admin.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.